राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2020–21

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020–21

विधि विभाग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में एक महत्वपूर्ण विभाग है। विधि विभाग द्वारा राज्य के प्रयोजनार्थ विभिन्न विधिक मामलों में राय देने, विधायी प्रारूपण, विधि संहिताकरण, प्रचलित विधि के प्रकाशन की व्यवस्था संचालित की जाती है। लोक अदालत एवं विधिक सहायता संबंधित मामलो के सन्दर्भ में भी प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है। विधि विभाग, राज्य सरकार के समस्त विधिक कार्यों की देखभाल का दायित्व निर्वहन करता है।

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव है तथा विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव के अधीन शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (वादकरण), विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ठ शासन सचिव, (विधि रचना संगठन) एवं संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त शासन सचिव, विधि, एवं उप शासन सचिव कार्यरत है।

विधि विभाग, माननीय विधि मंत्री महोदय के निर्देशन में कार्य करता है। विधि एवं विधि कार्य विभाग राज्य के विधिक कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संवर्ग में कुल 607 पद एवं राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संवर्ग में कुल 35 पद है)।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ाचा

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव है तथा इनके नियंत्रणाधीन विधि विभाग के निम्नलिखित अनुभाग कार्यालय है जिनके अध्यक्ष निम्नानुसार है:–

1. **विधि, (राजकीय वादकरण)**
   - i. शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी
   - ii. विशिष्ठ शासन सचिव, एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (वादकरण)
   - iii. उप सचिव एवं उप निर्देशक
2. **विधि रचना संगठन**
   - i. विशिष्ठ शासन सचिव (विधि रचना संगठन) एवं संयुक्त विधि परामर्शी,
   - ii. वरिष्ठ उप सचिव

3. **विधि (ग्रुप–2) विभाग/विधायी प्रारूपण/संहिताकरण विभाग**
   i. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी
   ii उप सचिव (ग्रुप–2)
   iii उप सचिव (वि.प्रा.–I)
   iv उप सचिव (वि.प्रा.–II)
   v उप सचिव (संहिताकरण विभाग)

4. **विधि (प्रारूपण) विभाग**
   i. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी
   ii. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

5. **विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी**

6. **विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग–1)**
   i संयुक्त शासन सचिव
   ii उप शासन सचिव

विधि विभाग के अधीन अनुभागों द्वारा सम्पादित कार्यो एवं उपलब्धियों का विवरण:–

निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली/राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष राज्य की ओर से आपराधिक एवं सिविल मामलों में पैरवी हेतु महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकार्ड/पैनल लॉयर/वरिष्ठ अधिवक्ता/ राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता/ गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल/एडीशनल गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल/ डिप्टी गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल/असिस्टेंट गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल की नियुक्ति संबंधी कार्य।

2. जिला स्तर पर जिला एंव सैशन न्यायालयों, विशिष्ठ न्यायालयों, अपर जिला एवं सैशन न्यायालयों में आपराधिक सैशन प्रकरणों की पैरवी हेतु लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति, सेवा वृद्धि, सेवा मुक्ति, कार्यकुशलता, शिकायतों आदि से संबंधित कार्य।
3. निदेशालय राजकीय वादकरण, राजकीय अधिवक्ता जयपुर/जोधपुर एंव समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक एंव अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदस्थापन/ स्थानान्तरण/ अनुशासनात्मक कार्यवाही/ वरिष्ठता/ पदोन्नति/ चयनित वेतनमान संबंधित कार्य।
4. जिला न्यायाधीश एवं अन्य समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से सिविल मामलों की पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति, सेवा वृद्धि, सेवा मुक्ति, कार्यकुशलता, शिकायतों आदि से संबंधित कार्य।
5. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता जयपुर/ जोधपुर एंव समस्त जिलों के लोक अभियोजक/ विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एंव उनके कार्यालयो के मंत्रालयिक कर्मचारियों के चिकित्सा/ यात्रा/ वेतन/ फीस/ कार्यालय व्यय हेतु बजट आवंटन संबंधित कार्य।
6. विधि विभाग द्वारा नियुक्त/नियंत्रित अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं उनके कार्यालयों में पदस्थापित मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा दायर न्यायिक प्रकरणों में राज्य पक्ष की ओर से बचाव संबंधित कार्य।
7. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता जयपुर/ जोधपुर एवं समस्त जिलों के लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एंव उनके कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन/चिकित्सा/ यात्रा/फीस/कार्यालय व्यय हेतु बी.एफ.सी./ अंक मिलान संबंधी कार्य।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य की ओर से नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड का वेतन एंव पैनल लॉयर/ वरिष्ठ अधिवक्ता को फीस का भुगतान एंव उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ में नियुक्त महाधिवक्ता, अति0 महाधिवक्ता को देय विशेष फीस बिलों का भुगतान संबंधी कार्य।
9. सचिवालय स्थित वादकरण निदेशालय में पदस्थापित विधि अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/यात्रा/चिकित्सा व्यय बिलों का भुगतान एवं वेतन नियतन संबंधी कार्य।
10. सूचना के अधिकार के तहत विधि वादकरण से संबंधित मांगी गई जानकारियों से संबंधित कार्य।
11. विधि वादकरण से संबंधित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर का कार्य।

विधि (प्रकोष्ठ–4) विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर द्वारा निर्णित आपराधिक प्रकरणों के विरूद्ध अपील/नो अपील का विनिश्चय
2. माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर आपराधिक प्रकरणों में पैनल लॉयर/ एडवोकेट ऑन रिकार्ड की नियुक्ति
3. माननीय उच्चतम न्यायालय में नियुक्त पैनल लॉयर/ वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रेषित फीस बिलों का भुगतान
4. आपराधिक प्रकरणों से संबंधित विविध कार्य

विधि (प्रकोष्ठ–4) वादकरण, विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

राजस्थान के सभी जिलों में स्थित सैशन/अपर सैशन न्यायालयों/ विशिष्ठ न्यायालयों–एन.डी.पी.एस./एस.सी.एस.टी./ए.सी.डी./महिला उत्पीडन/जाली नोट/प्रिन्टिंग स्टेशनरी/ डकैती प्रभावी क्षेत्र/साम्प्रदायिक दंगे/डेजिग्नेटेड कोर्ट द्वारा दिये गये सभी निर्णयों एंव मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा जमानती/संज्ञेय आपराधिक प्रकरणों में दिये गये निर्णयों के विरूद्ध अपील दायर करने/नहीं करने के क्रम में निर्णयों का परीक्षण संबंधी कार्य।

विधि (प्रकोष्ठ–5) रिट शाखा के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता की सामान्य फीस पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के पारित निर्णयों के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की ओर से एस.एल.पी. पेश करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड/ पैनल लॉयर की नियुक्ति संबंधी कार्य।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में अवमानना मामलों में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी कार्य।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में रिव्यु याचिकायें/ क्यूरेटिव याचिकायें आदि पेश करने संबंधी कार्य।
5. राज्य के बाहर उच्च न्यायालयों में राजस्थान राज्य के मामलों में अपील/नो अपील करने संबंधी कार्य ।
6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता की विशेष फीस पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में निजी अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता की उनकी सेवा शर्तों पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता की उनकी सेवा शर्तों पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
9. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता के विशेष फीस बिलों के निस्तारण संबंधी कार्य।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता/निजी अधिवक्ता के फीस बिलों के निस्तारण सबंधी कार्य।

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित नोटिसों को आवश्यक प्रतिरक्षण हेतु प्रशासनिक विभागों को भिजवाने संबंधी कार्य।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के विरूद्ध एस.एल.पी./रिट पिटिशन एंव अवमानना मामलों में अतिरिक्त महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकार्ड/ पैनल लॉयर की नियुक्ति संबंधी कार्य।

13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में अन्य राज्य के मामलों में अधिवक्ता (महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता आदि) नियुक्ति फीस आदि एंव अन्य राज्य में राजस्थान राज्य के मामलों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति/फीस आदि संबंधी कार्य।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के पैनल पर नियुक्त अधिवक्तागण (अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड/पैनल लॉयर/वरिष्ठ अधिवक्ता) के फीस बिलों के निस्तारण संबंधी कार्य तथा अन्य विविध कार्य।

<u>निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग की उपलब्धियां:-</u>

1. नवसृजित जिला एवं सैंशन न्यायालय, जयपुर महानगर–II में लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर महानगर का 01, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का 01 पद, शीघ्र लिपिक का 01 पद, कनिष्ठ लिपिक का 01 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 01 पद सृजित किया गया।
2. नवसृजित विशिष्ठ न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालको संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) तथा Commission for Protection of Child Rights Act, 2005) में विशिष्ठ लोक अभियोजक का 01 पद, 20 अपर जिला एवं सैंशन न्यायालय में अपर

लोक अभियोजक एवं राज़कीय अभिभाषक के 20 पद, शीघ्र लिपिक का 01 पद, क्लर्क ग्रेड–II के 20 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 21 पद सृजित किये गये।

विधि (विधायी प्रारूपण) (ग्रुप–2) विभाग द्वारा सम्पादित कार्य/उपलब्धियों का विवरण:–

विधि विभाग की इस शाखा में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मंत्रिमण्डल आज्ञा सहित प्राप्त विधेयक सत्र के दौरान विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने हेतु विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किये जाते हैं। विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को यथा स्थिति माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति के लिए प्रेषित किया जाता है एवं अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियम के रूप में केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है।

विधान सभा का सत्र चालू नहीं होने के दौरान प्रख्यापन के लिए प्राप्त अध्यादेश माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किये जाते हैं तथा प्रख्यापन के पश्चात् उनको राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है।

विधि(ग्रुप–2)विभाग के कार्य का सार–संक्षेप (Executive summary)

- विधि (ग्रुप–2) विभाग में विधान सभा संबंधी अत्यावश्यक शासकीय, विधायी कार्य यथा विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्यादेशों को तैयार करने एवं उनके प्रख्यापन उपरान्त अध्यादेशों की अधिसूचनाओं के राजपत्र में प्रकाशन कराने तथा विधान सभा सत्र के दौरान प्रतिस्थापक एवं नवीन विधेयकों को तैयार करने, उनका मिलान करने, प्रूफ पढ़ने, संशोधन करने तथा अंतिम रूप से तैयार विधेयकों को विधान सभा में पुरःस्थापन हेतु भिजवाने और विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को अन्तिम रूप देते हुए अधिनियम के रूप में राजपत्र में प्रकाशित कराने संबंधी विधायी कार्यों का सम्पादन किया जाता है। उक्त कार्यों का समयबद्ध एवं त्वरित रूप से निस्तारण किया जाना अनिवार्य होता है।

वर्ष 2020 में विधान सभा सचिवालय को पुरःस्थापित कराये जाने हेतु प्रेषित 37 विधेयकों में से 34 विधेयकों के पुरःस्थापन उपरान्त विधायिका द्वारा पारित 30 विधेयकों में से 25 विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया एवं पारित 05 विधेयक माननीय माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति हेतु गृह मन्त्रालय, भारत सरकार को भिजवाये हुए हैं तथा पूर्व में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु भिजवाये गये एक विधेयक पर अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया है। वर्ष 2020 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित 08 अध्यादेशों का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन करवाया गया, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

LIST OF ACTS, 2020

S. No.	Act No.	Title of Act
1.	1/2020	सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2019
2.	2/2020	राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020
3.	3/2020	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020
4.	4/2020	राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020
5.	5/2020	डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2020
6.	6/2020	राजस्थान विनियोग (सं. 1) अधिनियम, 2020
7.	7/2020	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020
8.	8/2020	राजस्थान विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 2020
9.	9/2020	राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020
10.	10/2020	राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2020
11.	11/2020	राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 2020
12.	12/2020	राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2020
13.	13/2020	राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम, 2020
14.	14/2020	राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) अधिनियम, 2020
15.	15/2020	राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020
16.	16/2020	राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 2020
17.	17/2020	राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2020
18.	18/2020	राजस्थान पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2020
19.	19/2020	राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020
20.	20/2020	राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2020
21.	21/2020	राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020
22.	22/2020	राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) अधिनियम, 2020
23.	23/2020	राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020
24.	24/2020	राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020
25.	25/2020	राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां

S. No.	Act No.	Title of Act
		और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2020
26.	26/2020	राजस्थान महामारी (संशोधन) अधिनियम, 2020

List of Bills as passed by Assembly & sent to Hon'ble Governor for the Assent and reserved for the Assent of Hon'ble the President

S. No.	Bill No.	Title of Bills	Introduced On	Passed On	Remarks
1.	08/2020	राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020	19.02.2020	07.03.2020	Assent of Hon'ble Governor is still awaited
2.	30/2020	कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020	31.10.2020	02.11.2020	File sent to Hon'ble Governor to reserve the Bill for Consideration of Hon'ble the President on dated 24.11.2020
3.	31/2020	कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020	31.10.2020	02.11.2020	File sent to Hon'ble Governor to reserve the Bill for Consideration of Hon'ble the President on dated 24.11.2020
4.	32/2020	आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020	31.10.2020	02.11.2020	File sent to Hon'ble Governor to reserve the Bill for Consideration of Hon'ble the President on dated 24.11.2020
5.	33/2020	सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020	31.10.2020	02.11.2020	File sent to Hon'ble Governor to reserve the Bill for Consideration of Hon'ble the President on dated 24.11.2020

List of Ordinances, 2020

S. N.	Ord. No.	Name of Ordinances	Date of Publication
1.	1/2020	राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020	01.05.2020
2.	2/2020	राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020	01.05.2020
3.	3/2020	राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश,	14.05.2020

S. N.	Ord. No.	Name of Ordinances	Date of Publication
		2020	
4.	4/2020	राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2020	14.05.2020
5.	5/2020	राजस्थान महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020	22.05.2020
6.	6/2020	राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020	02.06.2020
7.	7/2020	राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020	01.07.2020
8.	8/2020	राजस्थान पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2020	06.07.2020

इसी प्रकार वर्ष 2020 में, भारत सरकार द्वारा पारित एवं राजस्थान राज्य में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित किये गये, 18 अधिनियमों को राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को पुनर्प्रकाशन हेतु भिजवाया जाकर ऑनलाईन प्रकाशित करवाये गये।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से प्राप्त विधि आयोग की रिपोर्टों का परीक्षण कर राज्य सरकार की ओर से प्रेषणीय विचार/टिप्पण तैयार कर भारत सरकार को प्रतिउत्तर भिजवाये जाने संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2020 की क्रियान्विति से संबंधित उपलब्धि:

प्रदेश में सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे, के लिए प्रदेश में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत् राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व इसके अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक साक्षरता, लोक अदालत, मीडियेशन, पैरालीगल क्लीनिक एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निर्देशित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में संस्थापित ढांचा निम्नानुसार है :–

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण – राज्य स्तर पर
2. राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति – 02 (जयपुर एवं जोधपुर) –उच्च न्यायालय स्तर पर
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण – 36 – जिला न्यायालय मुख्यालय स्तर पर
4. तालुका विधिक सेवा समिति – 181 – अधीनस्थ न्यायालय मुख्यालय तालुका स्तर पर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-नियम. एवं विनियम में प्राविधित प्रावधानों के तहत एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय से तालुका स्तर पर निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक साक्षरता, लोक अदालत, मीडियेशन, पैरालीगल क्लीनिक एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निर्देशित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, विधिक जागरूकता, मीडियेशन, लोक अदालत इत्यादि कार्यक्रमों की उपलब्धियों का वर्षवार विवरणः–

विधिक सलाह एवं सहायता

विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जरूरतमन्द व्यक्तियों को विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय, जिला एवं तालुका स्तर पर शिक्षित पैनल अधिवक्तागण एवं रिटेनर अधिवक्तागण का चयन किया गया। जिनके माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2020 में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में प्रदेश में आयोजित विधिक सेवा कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का विवरण :–

- **वर्ष 2020 में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020** के दौरान **6942** व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की गई है।
- **वर्ष 2020 में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020** के दौरान राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अन्तर्गत **1085** पीडितों को **17,55,21,500/–** का प्रतिकर पारित कर दिया गया है।
- **वर्ष 2020 में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020** के दौरान 42,**337** विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुये है, जिनमें 52,**50,754** व्यक्ति लाभान्वित हुये है।
- **संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2020** के अवसर पर प्रदेश में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में संविधान सप्ताह अधिग्रहण (26 नवम्बर, 2020 से 02 दिसम्बर, 2020) मनाया गया। संविधान अधिग्रहण सप्ताह के दौरान 7717 विधिक सेवा

कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें 107468 व्यक्तियों ने भाग लिया। जिलावार सूचना संलग्न है।

- **वर्ष 2020 में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020** के दौरान अधिनियम की धारा 19 के तहत कन्वेन्सियल लोक अदालत में **1585** प्रकरण निस्तारित हुए एवं एम.ए.सी.टी. प्रकरणों में **3,05,11,497/–** रूपये का अवॉर्ड पारित हुआ है।
- **वर्ष 2020 में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020** के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में **96884** प्रकरण निस्तारित हुए एवं **7,24,31,52,403/–** रूपये का अवार्ड पारित हुआ।
- **वर्ष 2020 में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020** के दौरान ऑनलाईन लोक अदालत में **33546** प्रकरण निस्तारित हुए एवं **2,70,09,49,313/–** रूपये का अवार्ड पारित हुआ।
- **वर्ष 2020 में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020** के दौरान अधिनियम की धारा 22बी के तहत जिला स्तर पर संस्थापित स्थाई लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित **1408** प्रकरण निस्तारित हुए, जिनमें **9,41,06,327/–** रू. सेटलमेन्ट राशि पारित हुई।
- **वर्ष 2020 में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020** के दौरान वैकल्पिक विवाद निस्तारण "मध्यस्थता" केन्द्रों के माध्यम से **507** प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
- प्रदेश में राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों में **6,205** विधिक साक्षरता क्लब संस्थापित है।
- प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर **332** विधिक सेवा क्लिनिक संस्थापित है जो One Stop Centre के रूप में कार्य करते हुए विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होगें। ये सीधे तौर पर राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित महिला सहायता समूह से कनेक्ट होगें।
- प्रदेश में जे.जे.बी./सी.डब्लयू.सी./पोक्सो में पीडितों व बच्चों की सहायता के लिए अद्यतन दिनांक 31.12.2020 तक विशेष तौर पर **63** पैनल अधिवक्तागण को प्रशिक्षित किया गया और बच्चा चाहे पीड़ित हो या विधि से संघर्षरत बालक, उनकी पैरवी के लिए नियुक्त किये जाते है।

- प्रदेश में पीड़ित बच्चों/किशोर की सहायता के लिए **116** पी.एल.वी. को बाल सहायक के लिए विशेष तौर से प्रशिक्षित किये गये जो सपोर्ट पर्सन की भूमिका निभा रहे है।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग–1) की सम्पादित कार्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार है:–

सम्पादित कार्य:–

1. विधि एवं विधिक कार्य (अनुभाग–1) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से विभिन्न स्तर के नवीन न्यायालयों की स्थापना, विशेष न्यायालयों की स्थापना, कैम्प कोर्टों की स्थापना, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन प्रदान करने का कार्य।
2. राजस्थान न्यायिक सेवा के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति संबंधी कार्य।
3. विधि (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) के पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति एवं पदस्थापन संबंधी कार्य।
4. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का संस्थापन संबंधी कार्य।
5. माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों हेतु बजट आवंटन संबंधी कार्य।
6. माननीय न्यायाधिपतिगण के राजकीय बंगलों में परिवर्तन, परिवर्धन संबंधी कार्य।
7. राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन संबंधी कार्य।
8. नोटरी पब्लिक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने तथा नवीनीकरण संबंधी कार्य।
9. विधि विभाग से संबंधी विधान सभा प्रश्नों ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख प्रस्तावों संबंधी कार्य।

उपलब्धियां निम्नानुसार है:–

(1.) राजस्थान उच्च न्यायालय से राजस्थान न्यायिक सेवा के 190 पदों पर नवीन नियुक्ति प्रदान की

(2.) जिला एवं सेंशन न्यायाधीश जयपुर महानगर, द्वितीय की स्थापना की गई।

(3.) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय की स्थापना की गई।

(4.) 2 पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई।

(5.) 1 पोक्सो न्यायालय की स्थापना की गई।

(6.) 7 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना की गई।

(7) 5 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई।

(8.) 7 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना की गई।

(9.) 12 अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना की गई।

(10.) 6 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई।

(11.) 10 विशिष्ठ न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालयों की स्थापना की गई।

(12.) 2 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत किया गया।

(13.) राज्य में विधि विभाग द्वारा 62 नोटेरी पब्लिक के प्राधिकार प्रमाण–पत्रों का नवीनीकरण किया गया।

(14.) राजस्थान विधि सेवा के वर्ष 2020–21 में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 8 पद पर पदोन्नति की गई।

(15.) राजस्थान विधि सेवा के वर्ष 2020–21 में संयुक्त विधि परामर्शी के 12 पदों पर पदोन्नति की गई।

(16.) राजस्थान विधि सेवा के वर्ष 2020–21 में उप विधि परामर्शी के 21 पदों पर पदोन्नति की गई।

(17.) राजस्थान विधि रचना सेवा के वर्ष 2019–20 में 01 पद पर एवं वर्ष 2020–21 में 1 पद पर उप शासन सचिव के पद पर पदोन्नति की गई।

(18.) राजस्थान विधि रचना सेवा के वर्ष 2019–20 में 01 पद पर एवं वर्ष 2020–21 में 1 पद पर विधि रचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई।

(19.) 10 पदो पर कनिष्ठ सहायक को दिनांक 16.06.2020 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में नियुक्ति दी गई।

(20.) 10 पदो पर कनिष्ठ सहायक को दिनांक 16.07.2020 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में नियुक्ति दी गई।

(21.) 01 पद पर कनिष्ठ सहायक को दिनांक 09.10.2020 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में नियुक्ति दी गई।

<u>विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग–1) वर्ष 2020–21 में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया:–</u>

(i) जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय न्यायक्षेत्र में जल की आपूर्ति हेतु दो नलकूप की बोरिंग करवाने हेतु कुल रूपये 12.42 लाख की स्वीकृति दिनांक 20.10.2020 को जारी की गई।

(ii) Sanction of Rs 115.05 lacs for various AMC services at Rajasthan High Court Bench, Jaipur Dated 26.05.2020

(iii) नवनियुक्त माननीय न्यायाधिपतिगण हेतु नवीन लेपटॉप क्रय करने हेतु उच्च न्यायालय प्रशासन की विस्तृत इकाई 05 कार्यालय व्यय में कुल रूपये 14.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 02.06.2020 को जारी की गई।

(iv) राजस्थान न्यायिक अकादमी की विस्तृत इकाई 05 कार्यालय व्यय (नवीन आईटम) में कुल रूपये 11.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 16.06.2020 को जारी की गई।

(v) Senction of Rs 128.50 lacs for budget from Ministery of Law and Justice GOI for procurement of newly recruited Judicial Officer under Phase-II of e-Court project Dated 17.06.2020

(vi) विभिन्न शीर्षो की विस्तृत ईकाई 06–वाहनों का क्रय हेतु कुल रूपये 32.76 लाख की स्वीकृति दिनांक 22.06.2020 को जारी की गई।

(vii) नवसृजित न्यायालयों के Basic Infrastructure (Telephone, Furniture, Computer & Printer, Photostate Machine) स्वीकृत हेतु कुल रूपये 06.02 लाख की स्वीकृति दिनांक 16.06.2020 को जारी की गई।

(viii) Sanction of Rs 40.43 lacs for development of AC infrastructure for Advocate chambers in new building of Rajasthan High Court Dated 11.08.2020

(ix) राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की विस्तृत इकाई 29–प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय हेतु कुल रूपये 05.13 लाख की स्वीकृति दिनांक 17.08.2020 को जारी की गई।

(x) जिला न्यायालय मुख्यालय जयपुर जिला पर फूड कोर्ट व डिस्पेन्सरी के निर्माण हेतु कुल रूपये 24.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 31.01.2020 को जारी की गई।

(xi) Sanction of Rs 479.38 lacs for Renovation and Electrical works in old building of Rajasthan High Court, Jodhpur Dated 21.08.2020

(xii) नवृसजित अधीनस्थ न्यायालयों के लिये विभिन्न आईटम कय हेतु कुल रूपये 13.95 लाख की स्वीकृति दिनांक 04.09.2020 को जारी की गई।

(xiii) Sanction of Rs 109.53 lacs for plantation, development of garden area and landscaping work in Rajasthan High Court, Jodhpur Dated 10.09.2020

(xiv) जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायक्षेत्र में नवीन विद्युत संबंध हेतु कुल रूपये 23.04 लाख की स्वीकृति दिनांक 17.09.2020 को जारी की गई।

(xv) राजस्थान उच्च न्यायालय के स्वीकृत 04 Force Trax Delivery Van के स्थान पर 04 Traveller delivery Van (Modal TI DV 3050) हेतु कुल रूपये 14.08 लाख की स्वीकृति दिनांक 27.10.2020 को जारी की गई।

(xvi) नवृसजित अधीनस्थ न्यायालयों के लिये विभिन्न आईटम कय हेतु कुल रूपये 98,87,752 की राशि स्वीकृति दिनांक 27.10.2020 को जारी की गई।

(xvii) वाणिज्यिक न्यायालय की विस्तृत इकाई 05-कार्यालय व्यय में पुनर्विनियोजन हेतु कुल रूपये 73.09 लाख की स्वीकृति दिनांक 04.11.2020 को जारी की गई।

(xviii) राजस्थान उच्च न्यायालय के बजट नियंत्रण की विस्तृत इकाई 01- संवेतन मद हेतु कुल रूपये 50.00 लाख पुनविनियोजन हेतु स्वीकृति दिनांक 27.11.2020 को जारी की गई।

(xix) जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायक्षेत्र में कॉन्फ्रेस हॉल एवं ज्यूडिशियल सर्विस सेन्टर हेतु कुल रूपये 81.75 लाख की स्वीकृति दिनांक 27.11.2020 को जारी की गई।

(xx) ई-कोर्ट प्रोजक्ट फेज-II की विभिन्न योजनाओं हेतु अधीनस्थ न्यायालयों के लिये विभिन्न कम्प्यूटर आईटमस कय करने हेतु रूपये 357.59 लाख के व्यय की स्वीकृति मय रूपये 461.17 लाख की राशि स्वीकृति दिनांक 08.12.2020 को जारी की गई।

(xxi) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के नवनिर्मित भवन में Partition work in ILGF senction RSLSA-Rs 45.00 lacs and veriours works in Examination cell Rs 82.15 lacs राशि स्वीकृति दिनांक 08.12.2020 को जारी की गई।

(xxii) Sanction of forcast estimate Rs 34.75 lakh for Cosultancy work for covering of the dome area of the new building RHCB, Jaipur court Dated 08-12-2020

(xxiii) Sanction of forcast estimate Rs 34.75 lakh for cosultancy work for covering of the dome area of the new building RHCB, Jaipur Court dated 01-12-2020

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव